राजस्थान सरकार

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : राकबो / न्याय / 2022 / 7229-7233 दिनांक : 17-5-2022

अपील संख्या 365 / 2019 / जयपुर
अपील संख्या 366 / 2019 / जयपुर
अपील संख्या 367 / 2019 / जयपुर
अपील संख्या 368 / 2019 / जयपुर
अपील संख्या 369 / 2019 / जयपुर

मैसर्स डिजायर एनर्जी सोल्यूशन्स प्रा.लि. जयपुर
बनाम
सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर

## —: सूचना वृहतपीठ :—

उपरोक्तानुसार प्रकरणों में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार नियम 31(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के अंतर्गत वृहतपीठ (एल.बी.) का गठन किया जाकर प्रकरणों की सुनवायी की जानी है।

वृहतपीठ में आगामी सुनवाई दिनांक 31.05.2022 को कैम्प जयपुर में प्रातः 11.00 बजे की जायेगी। अतः आप सभी अभिभाषक इस वृहतपीठ के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित हैं।

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : सम / 7234- दिनांक : 17-5-2022

प्रतिलिपि :—

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय।
2. सहायक आयुक्त (निगरानी), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर।
3. मैसर्स डिजायर एनर्जी सोल्यूशन, 401 चौथी मंजिल, सी स्कीम, जयपुर।
4. श्री पी.एम.चोपड़ा, मरूधरा टैक्स बार एसोसियेशन, श्री विजय टावर मानजी का हत्था, पावटा, जोधपुर।
5. श्री विनोद पाटनी, अध्यक्ष जयपुर टैक्स बार एसोसियेशन, 512 सिग्नेचर टॉवर, लाल कोठी, जयपुर।
6. श्री राजेश गुप्ता, सीए गुप्ता एण्ड कम्पनी, व्यास बिल्डिंग, एसएमएस हाईवे, जयपुर।
7. अध्यक्ष, टैक्स एडवोकेट एसोसिएट्स, 204 लॉयर्स चैम्बर, 7–ए, बापू बाजार उदयपुर।
8. श्री वी.के.पारीक, अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अभिभाषक संघ, अजमेर।
9. श्री एन.के.वैद, उपराजकीय अभिभाषक।
10. श्री उमराव सिंह यादव, 39 कॉर्स रोड़, माली विद्यानगर, जयपुर।
11. श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक अजमेर।
12. श्री जमील जई, उपराजकीय अभिभाषक अजमेर।
13. श्री भवानी रावत, उपराजकीय अभिभाषक अजमेर।
14. नोटिस बोर्ड, अजमेर / जयपुर टैक्स बोर्ड।
15. नोटिस बोर्ड, राजस्व मण्डल, अजमेर।
16. कम्प्यूटर प्रभारी को वेबसाईट पर अपडेशन हेतु।
17. अन्य अभिभाषकगण।

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

## नोटिस

7222 दिनांक : 17-5-2022

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 लागू होने से पूर्व अधिसूचना दिनांक 24.03.2005 के जरिये सोलर एनर्जी से सम्बन्धित जिन आइटम्स की सूची अधिनियम की प्रविष्टि संख्या 207 पर दी गयी है, वे वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात् जारी नवीन प्रविष्टि संख्या–107 व 135 से किस प्रकार सुसंगत हैं ?
2. अनुसूची–प्रथम की प्रविष्टि संख्या–107 में प्रयुक्त शब्द 'सोलर एनर्जी इक्विपमेंट' किन–किन आईटमों हेतु प्रयुक्त हुआ है तथा इसके तहत क्या आईटम आ सकते हैं ?
3. 'सोलर पम्पिंग सिस्टम' जो कि विभिन्न वस्तओं को संयोजन करके बना है वह एक इकाई के रूप में क्या 'सोलर एनर्जी इक्विपमेंट' में शामिल किया जा सकता है ? अथवा जिन आइटम्स को संयोजित करके उक्त सिस्टम बना है, क्या उन आइटम्स में से कुछ आईटम प्रविष्टि संख्या–107 व 135 से कवर होते हैं ?
4. क्या 'सोलर पंपिंग सिस्टम' अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या–113 'renewable energy devices' से कवर होता है ?
5. यदि कुछ आईटम प्रविष्टि संख्या–107 व 135 से कवर होते हैं तो क्या वे आईटम जो कि प्रविष्टि संख्या–107 व 135 से कवर होते, उनको अलग किया जाकर उन पर कर देय है तथा जो आईटम उक्त प्रविष्टि से कवर नहीं होते, क्या वे कर योग्य हैं ? अर्थात् एक सिस्टम को उसके assemble हेतु पार्ट्स को विभाजन करके उन पार्ट्स के आधार पर अलग–अलग कर देय है अथवा पूरे सिस्टम पर करारोपण के सम्बन्ध में बिना विभाजन किये विचार करना चाहिये।
6. Solar pumping system में कौन–कौनसे पार्ट्स ऐसे हैं जो exclusively solar power में काम आते हैं तथा कौनसे पार्ट्स ऐसे हैं जो सोलर से भिन्न अन्य सिस्टम में भी काम आते हैं ?

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक :– सम/7223-7228 दिनांक : 17-5-2022

प्रतिलिपि ::–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड अजमेर।
3. मैसर्स डिजायर एनर्जी सोल्यूशन प्रा.लि., 401 चौथी मंजिल सी स्कीम, जयपुर।
4. टैक्स बार एसोसियेशन अजमेर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
5. समस्त राजकीय अधिवक्ता अजमेर/जयपुर।
6. कम्प्यूटर प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर